

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुझुनू

सरकार जशिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम श्री नरपत सिंह पुत्र श्री नरसिंह

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 13 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं संपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।</p> <p><i>अति. जिला कलक्टर झुझुनू</i></p>	
28/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने बस स्टेण्ड के पास राजगढ रोड़ पिलानी, झुझुनू में मै0 मारवाड़ स्वीट्स, के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह मिठाई बनाकर बेचता है। जहां वह कलाकन्द मिठाई (दुध चीनी से निर्मित) भी बनाता है। इसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./151/एक्ट/2022/176/दिनांक 20.01.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दुध चीनी से निर्मित) में बाहरी पदार्थ (Foreign fat and Starch) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 3 (1) (i) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 मारवाड़ स्वीट्स में खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दुध चीनी से निर्मित) स्वयं तैयार कर बेचान करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई(दुध चीनी से निर्मित) में बाहरी पदार्थ (Foreign fat and Starch) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री नरपत सिंह पुत्र नरसिंह, मै0 मारवाड़ स्वीट्स, बस स्टेण्ड के पास राजगढ रोड़ पिलानी निवासी धानका मोहल्ला चिड़ा झुझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/- दस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान</p>	<p><i>N. Singh</i></p>

